19/12/05 पत्रावली पेश हुई। जाँच पत्र धारा 128 भू-राजस्व

लिखा जाता है। जिसमें निर्णय दिनांक में (सिवाय

जाकर शामिल पत्रावली किया गया) पत्रावली

फैसल शुदा होकर दाखिल

दफ्तर हो। आदेश गया

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2020.05.01 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0 / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
5 / 21	128 एलआर एक्ट	19.02.2021	19.12.2025

उनवान

1. मोहन पुत्र रामस्वरूप आयु 60 साल
2. राजेश आयु 26 साल
3. कल्ली आयु 21 साल
4. पप्पू आयु 18 साल — पुत्रान / पुत्रीयान स्व. दीनदयाल
5. हेमा आयु 24 साल
6. चन्द्रा आयु 22 साल
7. सुनीता आयु 27 साल

सभी जाति ब्राहम्ण निवासीयान पदेवा तहसील व जिला करौली

—प्रार्थीया

बनाम

1. माधौसिंह पुत्र चौथीलाल उम्र 37 साल — जाति माली निवासी पदेवा
2. सोमोती पत्नि चौथीलाल उम्र 52 साल — तहसील व जिला करौली
3. भरतलाल उर्फ भरतू आयु 53 साल पुत्र किशोरीलाल
4. सोनबाई आयु 60 साल पुत्री किशोरीलाल
5. बबली आयु 38 साल — पुत्रीया भरिराम
6. फूलबाई आयु 35 साल
7. धर्मसिंह आयु 35 साल (फौत)

   9 / 1. राहुल आयु 19 साल — पुत्रान धर्मसिंह जाति माली निवासी पदेवा

   9 / 2. दिलीप आयु 24 साल — तहसील जिला करौली

10. श्रीमती अतरो पत्नि मुंशीलाल आयु 40 साल
11. किस्तूरी पत्नि हरीराम आयु 60 साल जाति माली निवासीयान पदेवा तहसील व जिला करौली
12. किस्तूरी देवी पत्नि मुरारी लाल आयु 55 साल जाति मा[illegible] करौली तह व जिला करौली (फौत)

    12 / 1. राजू पुत्र मुरारी आयु 25 साल [illegible] तहसील व जिला करौली

13. उमराव सिंह 40 साल — पुत्रान सम्पू
14. नरसी उर्फ नारायण सिंह आयु 36 साल
15. मानसिंह आयु 32 साल
16. रामपति पत्नि सम्पू आयु 62 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

17. केसूली आयु 34 साल | पुत्रीया रामू
18. किन्या आयु 32 साल
19. केसन्ती आयु 30 साल
20. जीतेन्द्र आयु 19 साल | पुत्र/पुत्री कंवरलाल
21. रिंकी आयु 18 साल
22. गुड्डी पत्नि कुंवरलाल आयु 45 साल
सभी जाति माली निवासीयान पदेवा तहसील व जिला करौली
23. तहसीलदार करौली तहसील करौली

—अप्रार्थीगण

—::निर्णय::— दिनांकः—19.12.25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 909 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वांके ग्राम रामपुर तहसील करौली जिला करौली में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से जमाबंदी अनुसार हक व हिस्सा है और प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 909 से सटेवा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 908 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 व खसरा नंबर 910 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 22 खसरा नंबर 909 से व 908, 910 के मध्य वनी सीमा पर आये दिन मिट्टी की मेड पर विवाद करते रहते है और प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नंबर 909 का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब करौली के आदेश क्रमांक 1799 दिनांक 28.05.2018 से सीमाज्ञान कराया गया और सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण अपने आराजी खसरा नंबर पर कब्जे काश्त पर वर्तमान में काबिज है और मुताबिक कब्जा काश्त कर रहे है। उक्त सीमाज्ञान तहसीलदार जी द्वारा कराने के बावजूद भी अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण से खसरा नंबर 909 की मेड पर आकर विवाद करते रहते है। इसलिए मौके पर नाप कराई जाकर पत्थरगढी प्रार्थी की भूमि का कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। दिनांक 9.2.2021 को अप्रार्थीगण मेड पर विवाद करने लगे उनसे सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कराने को कहा तो वह इंकार हो गये इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के यहां पेश किया जा रहा है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 7, 8, [illegible], 18, 19, 20, 21, 22 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध [illegible]कपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 909 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वांके ग्राम रामपुर तहसील करौली जिला करौली पत्थरगढी कराये जाने निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं बहस का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी भूमि के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांके ग्राम रामपुर तहसील व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि के आराजी खसरा नंबर 909 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वांके ग्राम रामपुर तहसील व जिला करौली भूमि की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested